

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा-2012

परीक्षा दिनांक 02.12.2012

विज्ञापित क्र. 774 / 05 / 2013 / अनु-10

इन्दौर, दिनांक 12.02.2013

-::परीक्षा परिणाम ::-

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2012/16.07.2012 आवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि 19.08.2012 शुद्धि पत्र क्रमांक-01/02/परीक्षा/2012/दिनांक 08.10.2012 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक-02/02/परीक्षा/2012/दिनांक 15.10.2012 के द्वारा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी के अस्थायी-05 पदों हेतु सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा दिनांक 02.12.2012 को केवल इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर तीन सत्रों में आयोजित की गई थी।

इस परीक्षा में गुणानुक्रम आधार पर कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या अनारक्षित 06 (जिसमें सामान्य वर्ग पुरुष 03, महिला 01, व अन्य पिछड़ा वर्ग 02 अर्ह है)। अनुसूचित जाति में 04 अर्ह है (जिसमें से 01 महिला, व शेष 03 पुरुष है एवं श्रवणबाधित विकलांग उत्तीर्ण अर्ह आवेदक निरंक है) इस लिखित परीक्षा में कुल-10 उत्तीर्ण अर्ह आवेदक साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION, INDORE

ASSISTANT DIRECTOR / DISTRICT STATISTICAL OFFICER WRITTEN EXAM - 2012

ADV. NO. 02/EXAM/2012/ DATED 16-07-2012

EXAM DATE - 02-12-2012

RESULT DECLARED DATE : 12-02-2013


ROLL NO WISE LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1.	10109	RAJSHREE SANKLE	
2.	10129	SUNIL CHOUHAN	
3.	10250	DR VEERANDRA SINGH MTSANIYA	
4.	10284	HEMANT SINGH	
5.	10449	RAJA ATULKAR	
6.	10469	RAM BABU GUPTA	
7.	10473	RAMASHANKAR GUPTA	
8.	10551	SHWETA SRIVASTAVA	
9.	11085	RAJESH KERAWAT	
10.	11087	RAJESH KUMAR SAKET	

12/2/13

महत्वपूर्ण टीप :-

- (1) सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- (2) सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा दिनांक 02.12.2012 के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पाँच प्रतियों में) एवं एम.पी. ऑनलाईन से भरे गये मूल आवेदन पत्र की फोटोकॉपी व उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण एवं विज्ञापन अनुसार अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 28.02.2013 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, तदनुसार उनकी अर्हता निरस्त हो जायेगी।
- (3) प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्र, अनुप्रमाणित फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण व अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही सही जानकारी पायी जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार दिनांक **25.03.2013** से आयोजित होंगे।
- (4) परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अस्थिबाधित विकलांगता का प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
- (7) प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- (8) लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।


12/2/13
(डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक